E-mail-examtwo2@gmail.com

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0–गुरूकुल कांगड़ी,
हरिद्वार–249404

संख्या : 344 /10/E-2/CJ-JD/2016-17 दिनांक 15 फरवरी, 2018

अनुभाग : परीक्षा अनुभाग–2 विज्ञापन संख्या : 03/ई–2/2016–17

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.) परीक्षा–2016

साक्षात्कार ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) (मुख्य) परीक्षा–2016 के दिनांक 30.01.2018 को घोषित परिणाम के आधार पर आयोग की बेवसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार आपका साक्षात्कार आयोग कार्यालय में पूर्वान्ह् 9.30 बजे/अपरान्ह् 12:30 बजे होना निर्धारित है।

2. इस ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे है, जिन्हें अभ्यर्थी वेबसाइट से डाउनलोड़ कर पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार तिथियों पर प्रस्तुत करेंगे– (1) विस्तृत आवेदन–पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या–02) (2) प्रमाणीकरण प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या–03) (3) देशना प्रपत्र (Index Card) (प्रपत्र संख्या–04)

3. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण–पत्र आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे–
(i) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंकतालिका। (ii) इण्टरमीडिएट का प्रमाण–पत्र एवं अंकतालिका। (iii) स्नातक डिग्री एवं अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)। (iv) विधि स्नातक डिग्री एवं अंकतालिका (समस्त सेमेस्टर/वर्षों की)। (v) अन्य अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण– पत्र। (vi) अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) (यदि कोई हो) सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (vii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (viii) अभ्यर्थी यदि किसी सेवा में सेवारत है तो सेवानियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूलरूप में। (IX) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में।

4. साक्षात्कार प्रांरभ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क (सामान्य वर्ग हेतु रू0 150 एवं आरक्षित वर्ग/पूर्व सैनिक रू0 60) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज (आवक्ष) के नवीनतम दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

6. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते है अथवा उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर प्रस्तुत करना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

7. विज्ञापन की शर्तो को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

8. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाइस, कैमरा तथा अन्य किसी भी प्रकार का इलैक्ट्रोनिक/संचार उपकरण लाना निषिद्ध है।

(रीना सैन)
अनुभाग अधिकारी
परीक्षा अनुभाग–2